कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल

संख्या 2371 शिविर/ 1-8 (2002-2003) देहरादून दिनांक 17 सितम्बर, 2003

स्थायी आदेश

भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 4 (बी) को धारा 7 के साथ पढ़ने पर यदि बॉस वन में हो अथवा वन से लाया गया हो तो तभी वह वन उत्पाद की श्रेणी में आता है और यदि यह वन से बाहर हो तो वन उत्पाद की श्रेणी में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं [illegible] क्षेत्रों मे वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 में उल्लिखित प्रजातियों में भी बॉस सम्मिलित नहीं है। [illegible] किसी भी प्रकार के बॉस, यथा वनों से लाया गया हो या निजी काश्त से के अभिवहन हेतु अनुज्ञा जारी किये जाने की परम्परा है। इस परम्परानुसार अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु कास्तकार को अधिक समय गवाना पड़ जाता है जिस पर कास्तकार को निरर्थक असुविधा होती है। अतः प्रकिया को सरल बनाये जाने के उद्देश्य से आदेशित किया जाता है कि यदि वन से बाहर बॉस का विदोहन किया जाता है तो ऐसे बॉस के अभियहन हेतु अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(मदन मोहन इरगोला)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल

संख्या शिविर/(1) दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल.
2. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तरांचल.
3. समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.

(मदन मोहन इरगोला)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तरांचल

संख्या शिविर/(2) दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून
2. सदस्य सचिव/वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून.

(मदन मोहन इरगोला)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तरांचल

- Following subjects have been renamed and their syllabus have been modified:
  - Forest Production renamed as Forest Management & Planning
  - Forest Protection has been changed to Forest Health
- For all other subjects, the syllabus and weightage have been duly rationalized.

Subject: **Tree felling and transit regulation in Uttarakhand.**
To: digfpolicy-mef@nic.in

Date: 10/12/17 05:03 PM
From: Meenakshi Joshi <joshi.meenakshi0@gmail.com>

Image (2).jpg (3.0MB) Image (3).jpg (2.0MB) Image (4).jpg (1.0MB) Image (5).jpg (1.1MB)
Image (6).jpg (1.4MB) Image (7).jpg (1.2MB) Image.jpg (2.5MB)

Sir,
Please refer to our telephonic conversation on dated 11-10-2017. With reference to the above mentioned subject following points are highlighted :-
1. Tree felling permits in areas outside reserve forest are granted as per provision of Tree Protection Act 1976.
2. Vide Order dated 03-02-1983, 27 tree species (when planted in area up to 2 ha.) have been exempted from the provision of Tree Protection Act 1976. This has been done to promote agro forestry by farmers and includes fodder, small timber species which find use in small scale industry and also for animal husbandry, agriculture implements and allied activity.
3. Vide Order dated 27-02-2003, 07 tree species (Walnut, Neem, Oaks, Sal, Ficus (Pipal & Banyan) & Deodar have been placed in the restricted categories and felling permissions can be granted only in case of dead or dangerous trees.
4. Vide Order dated 06-02-2014, timber derived from 19 tree species from outside forest areas have been exempted from transit rules.

Regards
Meenakshi Joshi
CF, Shiwalik Circle
Uttarakhand, Dehradun.

Image (2).jpg

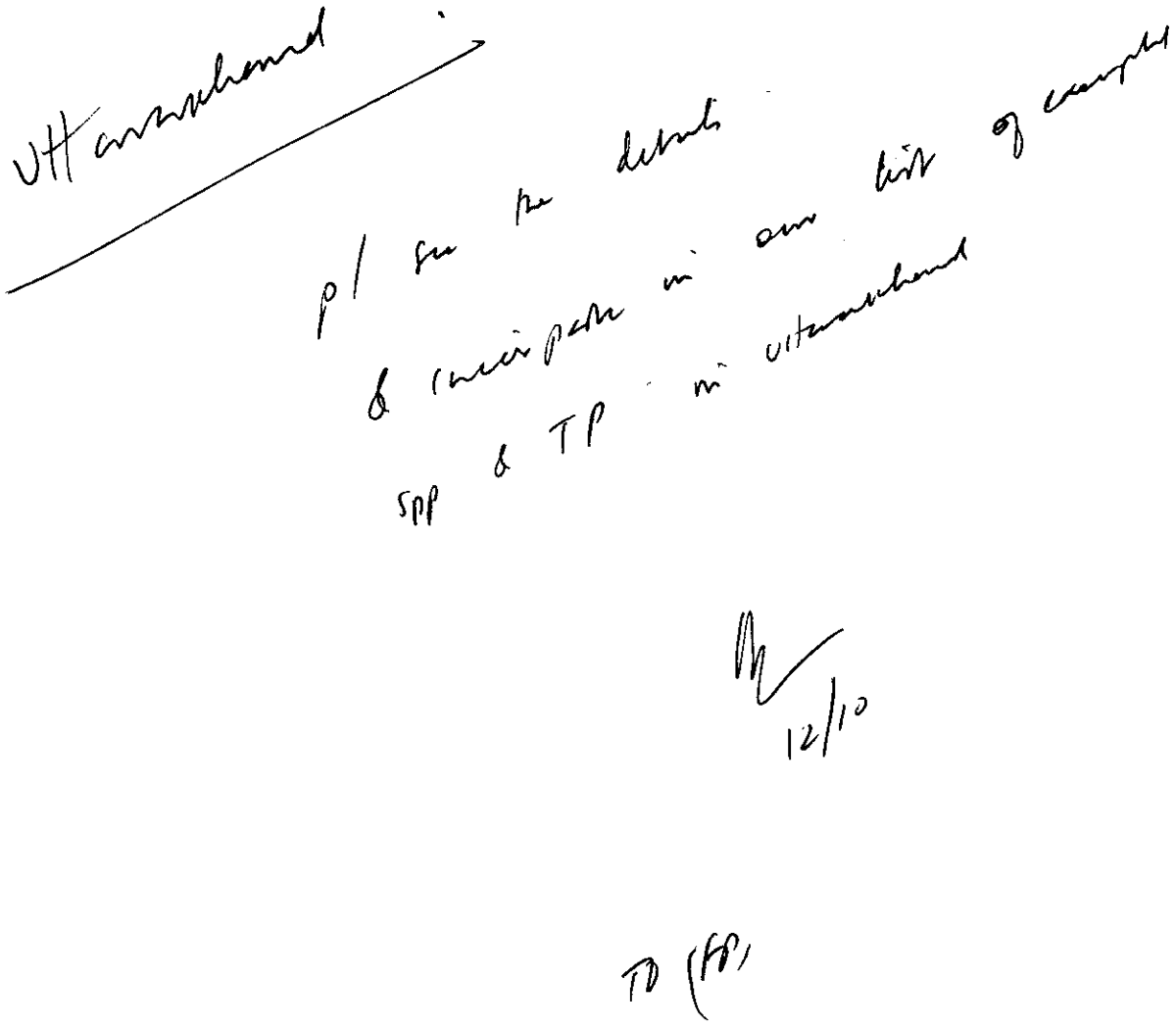

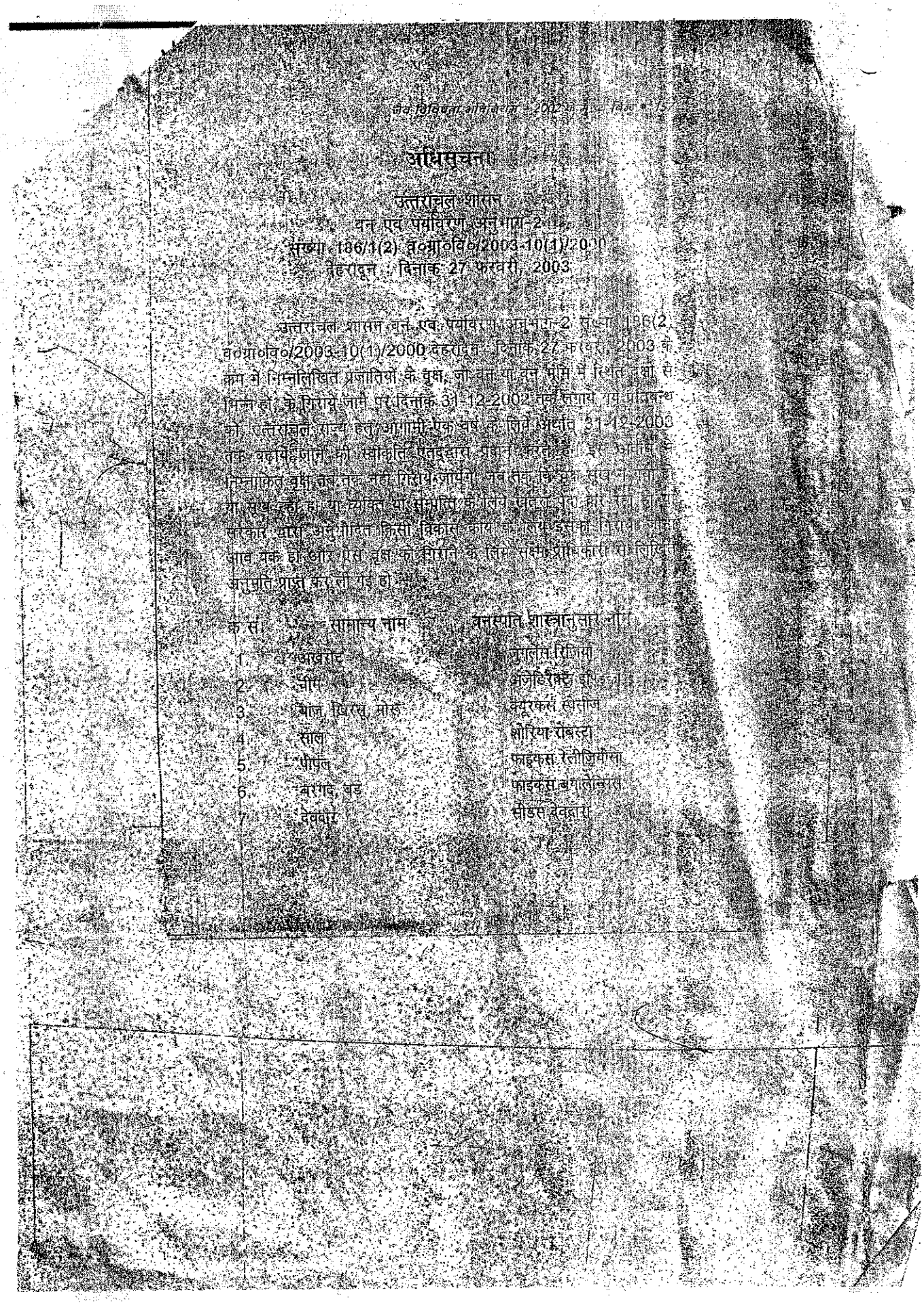

अधिसूचना

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या 186/1(2) व०ग्रा०वि०/2003-10(1)/2000
देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2003

उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 संख्या 186(2) व०ग्रा०वि०/2003-10(1)/2000 देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2003 के क्रम में निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्ष, जो वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों से भिन्न हों, के गिराये जाने पर दिनांक 31-12-2002 तक लगाये गये प्रतिबन्ध को उत्तरांचल राज्य हेतु आगामी एक वर्ष के लिये अर्थात 31-12-2003 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं। इस अवधि में निम्नांकित वृक्ष तब तक नहीं गिराये जायेंगे जब तक कि वृक्ष सूख न गये हों या सूख रहे हों या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य के लिये इसको गिराना नितान्त आवश्यक हो और ऐसे वृक्ष को गिराने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई हो :-

क्र.सं.	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1.	अखरोट	जुगलेंस रिजिया
2.	नीम	अजेडिरैक्टा इण्डिका
3.	बांज, खिरसू, मोरू	क्यूरकस स्पीशीज
4.	साल	शोरिया रोबस्टा
5.	पीपल	फाइकस रेलीजियोसा
6.	बरगद, बड़	फाइकस बंगालेन्सिस
7.	देवदार	सीड्रस देवदारा

Image (3).jpg

महत्वपूर्ण परिपत्र

संख्या–1068/14–3–377/76

जगदीश चन्द्र पन्त,
वन सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश (जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को छोड़कर) ।

लखनऊ, दिनांक 8 फरवरी, 1983 ।

विषय : उत्तर प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्ष पातन की नीति—पातन अनुज्ञा दिये जाने की प्रक्रिया—उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों से मुक्त वृक्ष प्रजातियों के प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह नितान्त आवश्यक है कि शासन की पेड़ कटान की वर्तमान नीति का व्यापक प्रचार किया जाय जिससे नीति का स्पष्टीकरण तथा उसके द्वारा दी गई छूट तथा लगाये गये प्रतिबन्धों की सूचना सब को मिल जाय । तदनुसार इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जा रही है :

1—ईंधन, चारापत्ती, लघु काष्ठ गृह उद्योग में काम में आने वाले वृक्षों के पातन पर छूट

किसानों को वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित करने हेतु और वृक्ष सम्पदा से उन्हें लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से शासकीय अधिसूचना संख्या–86/चौदह–3–377–76, दिनांक 20 जनवरी, 1982 एवं अधिसूचना संख्या–176/चौदह–3–377/76, दिनांक 14 जनवरी, 1983 द्वारा ईंधन, चारापत्ती, लघु काष्ठ और गृह उद्योग में काम में आने वाली नीचे दी गई 27 वृक्ष प्रजातियों को, यदि उन्हें दो हेक्टेयर क्षेत्र में पंक्तिबद्ध रोपित किया जाय, उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के समस्त उपबन्धों से छूट दी गई है । अर्थात् दो हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की व्यक्तिगत कृषि या अकृष्य भाव पर लगाये गये इन प्रजातियों के वृक्षों को काटने के लिए वृक्ष के मालिक को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है :

(1) अगस्त (2) अरू (3) इतीसा (4) कैजुरिना (5) जंगल जलेबी (6) पॉपुलर
(7) पराश (8) बकाइन (9) बबूल (10) विलायती बबूल (11) यूकेलिप्टस
(12) रोबिनिया (13) पारस (14) सिरसी (15) सिरिस (16) सुबबूल (17) अखोर
(18) कठबेर (19) बढ़ल (20) आस्ट्रेलियन अकेसिया (21) ग्रो पलास (22) पेपर मलबेरी (23) बेर
(24) हिमालय मेकुला (25) मैलू (मवली) (26) सैजना (27) शहतूत ।

2—पर्यावरण हेतु भू-संरक्षण रोकने और प्रदूषण को रोकने से सम्बन्धित [illegible] वृक्ष प्रजातियों के पातन पर अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में अपवाद किये जाने की व्यवस्था सहित 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रतिबन्ध

शासकीय अधिसूचना सं०–71/14–3–377–76, दिनांक 20–1–82 एवं अधिसूचना सं० 177/14–3–377/76–दिनांक 14–1–83 द्वारा नीचे दी गई 11 वृक्ष प्रजातियों के पातन पर 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रतिबन्ध लगाया गया है :—

(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] ([illegible]) और [illegible]
(4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible] (7) [illegible] और (8) [illegible] (9) [illegible] (10) [illegible]
(11) [illegible]

उपरोक्त 11 [illegible]

[illegible]

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या–499/x–2–2014–21(13)2011
देहरादून: दिनांक 06 फरवरी, 2014

विज्ञप्ति

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 के नियम 3 के खण्ड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गैर वानिकी क्षेत्रों से निम्न प्रजातियों से प्राप्त ईमारती लकड़ी अथवा अन्य वन उपज के अभिवहन को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उक्त नियमावली के प्राविधानों से मुक्त रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क. इमारती लकड़ी एवं कोमल काष्ठ

1.	यूकेलिप्टस की सभी प्रजातियां	–	*Eucalyptus spp.*
2.	पोपलर (पहाड़ी पीपल को छोड़कर)	–	*Populus spp.* (except *Populus ciliata*)
3.	भैंस / मजनू	–	*Salix spp.*
4	विदेशी चीड़	–	*Pinus spp.* (except *P. roxburghii* & *P. wallichiana*)
5.	विदेशी सुरई	–	*Cupressus spp.* (except *Cupressus torulosa*)
6.	सिलवर ओक	–	*Grevillea robusta*
7.	बाटल ब्रुश	–	*Callistemon spp.*
8	रोबीनिया	–	*Robinia pseudacacia*
9.	पोलोनिया	–	*Paulownia spp.*
10.	सूबबूल	–	*Leucaena leucocephala*
11.	पेपर मलबरी	–	*Broussonetia papyrifera*
12.	जकराण्डा	–	*Jacaranda mimosaefolia*
13.	वेटल (खैर को छोड़कर)	–	*Acacia spp.* (except *Acacia catechu*)
14.	आड़ू	–	*Prunus persica*
15.	सेव	–	*Malus domestica*
16.	नाशपाती	–	*Pyrus communis*
17.	अमरूद	–	*Psidium gujava*
18.	कदम्ब	–	*Anthocephalus cadamba*
19.	बकैन	–	*Melia spp.*

ख. गैर प्रकाष्ठ वन उपज

20.	रीठा के फल, बीज व छिलका	–	*Sapindus mukorossi*
21.	चीड़ पिरूल	–	Pine needles
22.	लैण्टाना / कुरी	–	*Lantana camara*
23.	यारसा गोम्बू (अभिवहन पास आवश्यक किन्तु अभिवहन शुल्क से छूट)	–	*Cordyceps spp.* (transit pass required, fees exempted)

मनोज चन्द्रन
अपर सचिव

—Image (5).jpg

संख्या– ....(1) x–2–2014 तददिनॉकित।

प्रतिलिपि:– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) के आगामी अंक में प्रकाशित करें एवं मुद्रित विज्ञप्ति की 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:– यथोपरि।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्या–445 (2) x–2–2014 तददिनॉकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड को इस आशय से कि इस विज्ञप्ति को इन्टरनेट के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय को इस आशय से की इस विज्ञप्ति को इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्या– ....(3) x–2–2014 तददिनॉकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा। संख्या 63/2013 के सम्बन्ध में इस आशय से कि मा0 मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा की पूर्ति उपरोक्तानुसार कर ली गयी है। अतः वन विभाग की घोषणाओं की सूची से उक्त घोषणा को विलुप्त करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

—Image (6).jpg

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या–98(2)/ I–व.ग्रा.वि./2002
दिनांकः देहरादूनः जनवरीः 29. 2002.

अधिसूचना

[illegible] प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) [illegible] साथ पठित उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम,1976 [illegible] अधिनियम संख्या– 45 सन् 1976) की धारा 23 के उपधारा (1) के अधीन शक्ति का [illegible] उत्तरांचल शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 130/वन एवं [illegible] दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 द्वारा निम्नलिखित जातियों के वृक्ष, जो वन या वन भूमि [illegible] भिन्न हों, के गिराये जाने पर दिनांक 31.12.2001 तक लगाये गये प्रतिबन्ध की [illegible] श्री राज्यपाल जन साधारण के हित में उत्तरांचल राज्य हेतु आगामी एक वर्ष के लिए [illegible] 12.2002 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान करते हैं इस अवधि में [illegible] तब तक नहीं गिराये जायेंगे, जब तक कि वृक्ष सूख न गया हो या सूख रहा हो या [illegible] सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास [illegible] इसका गिराया जाना आवश्यक हो और ऐसे वृक्ष को गिराने के लिए सक्षम प्राधिकारी [illegible] अनुमति प्राप्त कर ली गई हो:–

सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
अखरोट	जुगलेंस रिजिया
अंगू	फेक्सिनस मिक्रान्था
चमखड़िक	करपिनस विमीनिया
जमनोई	प्रूनस कोरनुटा
नीम	अजेडिरैक्टा इण्डिका
बांज, खिरसू, मोरू	क्यूरकस स्पेसीज
महुआ	मधुका लैटीफोलिया
साल	शोरिया रोबस्टा
पीपल	फाइक्स रेलीजियोसा
बरगद, बड़	फाइक्स बेंगालेन्सिस
देवदार	सीड्रस देवदारा

[illegible] के अतिरिक्त आम(देसी, तुकमी व कलमी)वनस्पति शास्त्रानुसार नाम "मैन्जीफेरा [illegible] को "वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976" की धारा–3(XI) में उल्लखित फलदार वृक्षों [illegible] हुए शिड्यूल–II में सम्मिलित किया जाता है, जिससे इसकी फलदायी क्षमता में [illegible] अथवा बीमारी की दशा मे जिला उद्यान अधिकारी की औपचारिक अनुमति प्राप्त [illegible] पातन किया जा सकता है।

आज्ञा से,

(अशोक)
अपर सचिव

[illegible] प्रमाणक
[illegible] 2002

.....2...

संख्या–98(2)(1)/ I–व. 02, दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ.
2. सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल.
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल.
5. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल.
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम,देहरादून.
9. सूचना निदेशक, उत्तरांचल, देहरादून.

आज्ञा से,

(अशोक)
अपर सचिव

Image.jpg

10/13/2017 https://mail.gov.in/iwc_static/layout/shell.html?lang=en-US&3.0.1.2.0_15121607

अधिसूचना

शासनादेश संख्या 1068/14/3/370/76 दिनांक 03-02-1983 द्वारा किसानों को वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित करने हेतु और वृक्ष सम्पदा से उन्हें लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से शासकीय अधिसूचना संख्या 80/14-3-377-76 दिनांक 20 जनवरी, 1982 एवं अधिसूचना संख्या 170/14-3-377/76 दिनांक 14-01-1983 द्वारा ईंधन, चारा पत्ती, लघु प्रकाष्ठ, गृह उद्योग में काम में आने वाली नीचे दी गयी 27 वृक्ष प्रजातियों को (यदि उन्हें 2 हैक्टर क्षेत्र के अन्दर-अन्दर रोपित किया जाये) उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के समस्त उपबन्धों से छूट दी गयी है। अर्थात् 2 हैक्टर के क्षेत्रफल को व्यक्तिगत कृष्य या अकृष्य जोत पर लगाये गये इन प्रजातियों के वृक्षों को काटने के लिये किसी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(1) अगस्त्	(2) अरू	(3) [illegible]
(4) कैजूरिना	(5) जंगल जलेबी	(6) पोपलर
(7) फरद	(8) बकेन	(9) तून
(10) विलायती बबूल	(11) यूकेलिप्टस	(12) रोबिनिया
(13) कबोटेल	(14) बिली	(15) सिरिस
(16) सुबबूल	(17) अयार	(18) [illegible]
(19) खटिक	(20) जामन, जमोवा	(21) ढाक, पलास
(22) पेपर मलबरी	(23) बेर	(24) [illegible]
(25) मैहल	(26) सैजना	(27) [illegible]

https://mail.gov.in/iwc_static/layout/shell.html?lang=en-US&3.0.1.2.0_15121607